भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में वरिष्ठ इलेक्ट्रों ऐंसीफैलोग्राफ तकनीशियन के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में वरिष्ठ इलेक्ट्रानिक तकनीशियन के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	वरिष्ठ इलेक्ट्रों ऐंसीफैलोग्राफ तकनीशियन	वरिष्ठ इलेक्ट्रों ऐंसीफैलोग्राफ तकनीशियन	कोई परिवर्तन नहीं
2.	पदों की सं.	1	1* (2017) (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	कोई परिवर्तन नहीं
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-II पद अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रेड वेतन 4200/- वाले पद समूह 'ख' पद के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन	दूसरा के.वे.आ. - 325-15-475-ई.बी.-20-575 तीसरा के.वे.आ. 550-25-700-ईबी-30-900 चौथा के.वे.आ. - 1640-60-2600-ई.बी.-75-2900 पांचवां के.वे.आ. – एस-10 (5500-175-9000) छठा के.वे.आ.- पी.बी.2, ग्रे.वे. रु. 4200 सातवां के.वे.आ.-	लेवल- 6 (रु. 35400-रुपये 112400)	इलेक्ट्रानिकी तकनीशियन वरिष्ठ इलेक्ट्रो ऐंसीफेलोग्राम तकनीशियन का पूरक पद है। किंतु इलेक्ट्रानिकी तकनीशियन एवं वरिष्ठ इलेक्ट्रो एंसीफेलोग्राफ तकनीशियन के वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल समान अर्थात वेतन मैट्रिक्स का लेवल-6 है। सीआईपी, रांची ने भर्ती नियमों के संशोधन में वरिष्ठ इलेक्ट्रों एंसीफेलोग्राफ तकनीशियन के वर्तमान वेतन को एक स्तर ऊपर अर्थात वेतन मैट्रिक्स का लेवल-7

		वे.मे. का लेवल 6 (रु. 35400)		करने का प्रस्ताव किया है।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	चयन	अचयन	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के एबी 14017/13/213-स्था. (आरआर) के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि पद को वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता पर भरा जाना है तो भर्ती पद्धति चयन होगी।
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	30 वर्ष	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा का निर्धारण करने की तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख होगी न कि असम, मेघालया, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति और पांगी उपप्रभाग तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के एबी 14017/13/213-स्था. (आरआर) के दिशानिर्देशों के अनुसार पद लेबल – 6 या 7 में है और आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

			शासित प्रदेश में रहने वाले आवेदकों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख को।	
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	इलेक्ट्रानिकी/दूर संचार इंजीनियरिंग में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष अथवा इलेक्ट्रानिकी/रेडियों इंजीनियरी में डिप्लोमा और किसी तंत्रिका विज्ञान या तंत्रिका मन:चिकित्सा संस्था के किसी सुस्थापित इलेक्ट्रो एंसीफिलोग्राफी विभाग में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। (अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय है)। वांछनीय : डिग्री धारकों के मामले में किसी तंत्रिका विज्ञान या तंत्रिका मन:चिकित्सा संस्था के इलेक्ट्रो एंसीफिलोग्राफी विभाग में	1.किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (10+2) 2. इलेक्ट्रानिकी/दूर संचार इंजीनियरिंग में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष अथवाइलेक्ट्रानिकी/ रेडियो इंजीनियरी में डिप्लोमा और किसी तंत्रिका विज्ञान या तंत्रिका मन:चिकित्सा संस्था के किसी सुस्थापित इलेक्ट्रो एंसीफिलोग्राफी विभाग में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। (अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय है)। वांछनीय : डिग्री धारकों के मामले में किसी किसी तंत्रिका विज्ञान या तंत्रिका मन:चिकित्सा संस्था के इलेक्ट्रो	शैक्षिक अर्हता सीआईपी, रांची के प्रस्ताव के अनुसार होगी।

		व्यावहारिक अनुभव।	एंसीफिलोग्राफी विभाग में व्यावहारिक अनुभव।	
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	नहीं	लागू नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के दिशानिर्देश एबी.14017/13/213 -स्था. (आरआर) के अनुसार यह कॉलम लागू नहीं होगा।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	कोई परिवीक्षा नहीं दो वर्ष (यदि सीधे भर्ती हो)।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के दिशानिर्देश एबी.14017/13/213 -स्था. (आरआर) के अनुसार यदि प्रोन्नति एक ही समूह में अर्थात समूह ख से समूह ख में है तो कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	कोई परिवर्तन नहीं।
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले इलेक्ट्रानिकी तकनीशियन।	ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले इलेक्ट्रानिकी तकनीशियन।	कोई परिवर्तन नहीं।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	श्रेणी II विभागीय प्रोन्नति समिति	विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति: 1. निदेशक (सीआईपी)- अध्यक्ष 2. विशेषज्ञ ग्रेड-I	प्रोन्नति एवं स्थायीकरण के लिए डीपीसी एवं डीसीसी अनिवार्य है।

			अधिकारी- सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी –सदस्य	
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) नियमावली, 1958 के अधीन यथाअपेक्षित।	लागू नहीं।	समूह ख अराजपत्रित पद के लिए अपेक्षित नहीं है।